न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2011/00340 (13/2011)

कालासिंह पुत्र स्व0 श्री अर्जन सिह, जाति रायसिख निवासी मलड़खेड़ा, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। –अपीलान्ट

बनाम

1. देवेन्द्र कुमार बचवानी पुत्र श्री गनूमल उर्फ गनोमल बचवानी जाति सिन्धी निवासी चन्दड़ा हाल साकिन ए 422 रायल्टी मार्ग झालना, डूंगरी, जयपुर तहसील व जिला जयपुर। –असल रेस्पोडेण्ट/वादी
2. श्रीमति लक्ष्मी पत्नी मनूमल उर्फ गनोमल बचवानी जाति सिन्धी, साकिन ए–422 रायल्टी मार्ग, सालाना डुंगरी, जयपुर, तहसील व जिला हनुमागनढ। (–नाम विलोपित किया गया दिनांक 26.01.2022) –रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2009
द्वारा सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी संगरिया।
प्र0 संख्या 299/2008 बअनवान देवेन्द्र कुमार बचवानी बनाम श्रीमति लक्ष्मीदेवी

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक – 03.01.23

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक एनजीआर खाता संख्या 17/14 की 3.573 है0 भूमि गनूमल की होने का कथन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कर एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 स्व0 गनूमल के कथित वारिस होना प्रकट करते हुए घरू बंटवारा में यह भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को प्राप्त होने व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा अपना हक परित्याग रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में कर देने का कथन करते हुए उक्त भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने का वाद प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा इकबालदावा प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायलाय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की स्वीकृति के आधार वाद पत्र को अपीलाधीन निर्णय के द्वारा डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2009 कतई गलत व विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेण्ट्स ने परस्पर मिलीभगत कर अपीलाधीन डिक्री हासिल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के अभिवचनों के सम्बन्ध में साक्ष्य विधि के अनुसार कोई मुल्यांकन नहीं किया है। प्रश्नगत भूमि गनूमल को आवंटित नहीं थी बल्कि अपीलाट के दादा श्री गण्डासिंह को सन 1958 में आवंटन हुई थी। प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 80 से समन्धित है। पूर्व में यह भूमि गनूमल को आवश्य आवंटित हुई थी लेकिन बाद में पुनर्वास विभाग ने इस आवंअन को निरस्त कर इसकी एवज में दूसरी खसरा नम्बर 253 में आवंटित कर दी गई थी। स्व0 श्री गनूमल को कुल 62 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी तथा इस भूमि के संबंध में जारी सनद संख्या 3040 में कुल 62 बीघा 4 बिस्वा भूमि का जो विवरण दिया गया था उसमें खसरा नम्बर 80 की 14 बीघा भूमि सम्मिलित नहीं थी। गनूमल ने खसरा नम्बर 80 की 14 बीघा भूमि की एवज में खसरा नम्बर 253 में आवंटित 14 बीघा भूमि खातेदारी सनद मिलने के बाद विक्रय कर दी लेकिन राजस्व अभिलेख में उक्त निरस्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 80 का अंकन गनूमल के नाम गलत रूप में दर्ज रह जाने के कारण यह भूमि गनूमल के नाम कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से दर्ज रही। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट के पिता व गनूमल के मध्य विवाद लम्बित था तथा न्यायालय राजस्व अपील

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष लम्बित अपील संख्या 28/2003 निर्णय दिनांक 12.04.83 में यह अवधारित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि गनूमल को आवंटित भूमि नहीं है। जिस पर अपीलाण्ट के पिता के कब्जा में रही थी एक प्रक्रम पर इस भूमि का बकाया राशि जमा नहीं होने के कारण रिसीवर नियुक्त हुई जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट के पिता ने निगरानी प्रस्तुत की जो स्वीकार हुई है। प्रश्नगत भूमि निरन्तर अपीलाण्ट के पिता श्री अर्जन सिह के व उसके बाद अपीालण्ट के कब्जा में चली आ रही है। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा के संबंध में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने कोई अभिवचन नहीं किये हैं। कब्जा के अभाव में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने स्व0 गनूमल के वारिस होने के भी कोई पुष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रश्नगत भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा दलालों से सम्पर्क किया तथा इस भूमि को विक्रय करने हेतु गांव में चर्चा की तब अपीलाण्ट को राजस्व अभिलेख की जांच करने यह भूमि रेस्पेडेण्ट सं0 1 के नाम दर्ज होने का ज्ञान हुआ। अपीलाण्ट ने अवलिम्ब ही दिनांक 28.01.2011 को प्रमाणित प्रति दिनांक 16.02.2009 प्राप्त की। जिससे अपीलाण्ट को इस निर्णय का ज्ञान हुआ। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः विलम्ब को क्षमा किया जावे। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त होने के कारण अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है। अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र भी स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सीसीसी 2005 (3) पेज 142 एस.सी., सीसीसी 1999 (2) पेज 288 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्टने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट ने अपील में जिस प्रकार के कथन किये किये हैं वे कतई मिथ्या होने के कारण अस्वीकार योग्य नहीं है। बल्कि सही तथ्य यह है कि अपीलाण्ट के भाई सरजीत ने अपीलाण्ट को पक्षकार बनाते हुए एक वाद सरजीत सिंह आदि बनाम देवेन्द्र कुमार आदि वाद सं0 147/2009 दिनांक 13.07.2009 को प्रस्तुत किया जिसमें अपीलाण्ट बतौर प्रति सं0 10

राजस्व अपील अधिकारी (राज.) हनुमानगढ़

Lario
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पक्षकार है। इस वाद में अपीलाण्ट दिनांक 04.05.2010 को हाजिर आ चुका है। इस वाद की मद सं0 7 में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का उल्लेख है। तत्पश्चात् इस वाद में प्रतिवादी सं0 1 देवेन्द्र द्वारा जवाब दावा भी दिनांक 25.10.2010 को प्रस्तुत कर उसकी मद सं0 7 व 12 में पुनः प्रश्नगत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का उल्लेख किया गया है परन्तु अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2009 के विरूद्ध दिनांक 28.01. 2011 को अपील कतई मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलाण्ट उक्त वर्णित वाद संख्या 147/2009 में 04.05.2010 को ही उपस्थित आ चुके थे एवं नकल वादपत्र प्राप्त कर चुके थे। इसलिए उन्हें दावा में हाजिर होने पर प्रश्नगत अपीलाधीन निर्णय का उसी दिन ज्ञान हो चुका था तो उन्हें दिनांक 28.01. 2011 से मात्र एक सप्ताह पूर्व ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2009 का ज्ञान होने सम्बन्धित कतई मिथ्या कथन किये हैं जो मनगढंत हैं। अपीलाण्ट सद्भावी नहीं है उसके द्वारा जानबूझकर मिथ्या कथन कर अपील प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2012 आरआरडी पेज 276, आरएलआर एच.आर. पेज 288, आरबीजे 2007 पेज 428, आरबीजे 2010 पेज 289, 2015 आरआरटी पेज 232, 2019 आरबीजे पेज 20, 2005 आरआरआर पेज 211, 2005 आरबीजे पेज 132, आरआरटी 2009 पेज 432, 1995 आरबीजे पेज 82, 1989 आरआरडी पेज 500 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय में वादी देवेन्द्र कुमार ने अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया था। वादी देवेन्द्र कुमार प्रतियादी श्रीमति लक्ष्मी देवी स्व0 गनूमल के क्रमशः पुत्र व पत्नी है। प्रदश–1 जमाबंदी चक 3 एनजीआर खाता सं0 17/14 के अनुसार स्व0 गनूमल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। स्व0 गनूमल का एक मात्र पुत्र वादी देवेन्द्र कुमार ही है व प्रतिवादीया ने जवाब इकबाल दावा पेश कर वादपत्र के कथनों की पुष्टि की है। इस प्रकार प्रतिवादीया ने वादी के पक्ष में अपना हक परित्याग कर दिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति के आधार वादी का वाद डिक्री किया है। अपीलाण्ट ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि प्रश्गनत भूमि गनूमल को आवंटित नहीं थी बल्कि अपीलाण्ट के दादा गण्डा सिंह को सन् 1958 में आवंटित हुई थी। पूर्व में यह भूमि गनूमल को अवश्य आवंटित हुई थी लेकिन बाद में पुनर्वास विभाग ने इस आवंटन को निरस्त कर इसकी एवज में दूसरी भूमि आवंटित कर दी गई थी। खसरा नं. 80 का अंकन गनूमल के नाम गलत रूप से दर्ज रह जाने के कारण यह भूमि गनूमल के नाम कतई गलत व विधि विरूद्ध दर्ज रही है। प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलाण्ट ने अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं होने का कथन किया है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2009 को पारित किया गया था एवं उसका दिनांक 28.01.2011 से एक सप्ताह पूर्व होने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस में आये तथ्यों के अनुसार अपीलपण्ट के भाई सरजीत सिंह ने अपीलाण्ट को पक्षकार बनाते हुए एक वाद सरजीत सिंह आदि बनाम देवन्द्र कुमार आदि वाद सं0 147/2009 दिनांक 13.07.2009 को प्रस्तुत किया था जिसमें बतौर प्रतिवादी सं0 10 पक्षकार संयोजित है। इस वाद में अपीलाण्ट दिनांक 04.05.2010 को हाजिर हो चुका था। इस वाद की मद संख्या 7 में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का उल्लेख है। तत्पश्चात् वाद में प्रतिवादी सं0 1 देवेन्द्र कुमार द्वारा जवाब दावा भी दिनांक 25.10.2010 को प्रस्तुत कर उसकी मद सं0 7 से 12 में पुनः प्रश्नगत अपीलधीन निर्णय व डिक्री का उल्लेख किया गया है। परन्तु अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2009 के विरूद्ध दिनांक 28.01.2011 को अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलाण्ट उक्त वर्णित वाद संख्या 147/2009 में दिनांक 04.05.2010 को उपस्थित आ चुका था एवं नकल वाद पत्र भी प्राप्त कर चुके थे। इस कारण उन्हें दावा में हाजिर होने पर प्रश्नगत अपीलाधीन निर्णय का उसी दिन ज्ञान हो चुका था तो उन्हें दिनांक 28.01.2011 से मात्र एक सप्ताह पूर्व ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2009 का ज्ञान होने सम्बन्धित कथन स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलाण्ट ने मिथ्या आधारों पर अपील भीतर मियाद स्वीकार किये जाने एवं देरी क्षमा किये जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करने का अनुरोध किया है। RRD 14.04.2012 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि Appeal due to unsatiafactory reasons and no sufficient cause- Trail Court has passd the order after scrutiny of documents and verbal evidence. अपीलाण्ट ने यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है एवं अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के समुचित कारण नही बताये हैं। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी भी खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अधार पर अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

3.1.23

(करतारसिंह पूनियाँ)

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

आर.ए.एस.

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ